(वाद सं०–2038/4/24/2023)

30.01.2024

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, मुन्नी देवी, साकिन–लोहगामी, थाना–सोहसराय, जिला–नालन्दा के परिवाद से सम्बन्धित है, जिसमें उनके द्वारा दिनांक–19.08.2017 को परिवादी के घर के पीछे गली में परिवादी के पति, धुरी पासवान के शरीर पर बिजली का तार टूट कर गिर जाने से विद्युत स्पर्शाघात से हुई मृत्यु पर मृत्तक धुरी पासवान के आश्रित को चार लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान का भुगतान का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त पर **पुलिस अधीक्षक, नालन्दा, बिहारशरीफ** तथा **प्रबन्ध निदेशक, SBPDCL, पटना** से प्रतिवेदन की माँग की गयी। पुलिस अधीक्षक, नालन्दा, बिहारशरीफ के प्रतिवेदनानुसार, परिवादी की मृत्यु विद्युत स्पर्शाघात से हुई बतायी गयी जबकि SBPDCL, पटना द्वारा अपने प्रतिवेदन में परिवादी के पति, धुरी पासवान, की अपने घर में कपड़ा प्रेस करने के दौरान विद्युत स्पर्शाघात से हुई मृत्यु बतायी गयी है।''

राज्य आयोग द्वारा पुलिस अधीक्षक, नालन्दा, बिहारशरीफ तथा उप महाप्रबंधक, SBPDCL, पटना के प्रतिवेदनों पर विचार कर दिनांक–23.10.2023 को पुलिस अधीक्षक, नालन्दा, बिहारशरीफ के प्रतिवेदन से सहमत होकर, परिवादी के पति, धुरी पासवान की विद्युत स्पर्शाघात से हुई मृत्यु पर SBPDCL, पटना को मृत्तक धुरी पासवान, के आश्रित (परिवादी) को 04 लाख रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

उक्त के आलोक में उप महाप्रबंधक, SBPDCL, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि **''राज्य आयोग के दिनांक–03.10.2023 को पारित आदेश के आलोक में मृत्तक धुरी पासवान, के आश्रित पत्नी, मुन्नी देवी (परिवादी) को दिनांक–03.01.2024 को**

04 लाख रूपये अनुग्रह अनुदान के रूप में भुगतान कर दिया गया है।''

अब जबकि परिवादी की शिकायत का सक्षम प्राधिकार द्वारा समाधान किया जा चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में **South Bihar Power Distribution Company Ltd., पटना** के प्रतिवेदन के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ South Bihar Power Distribution Company Ltd., पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ 29–23/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

उप सचिव